	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 9, सोमवार, *शाके* 1944-अक्टूबर 31, 2022 *Kartika 9, Monday , Saka 1944- October 31, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 29, 2022

संख्या प.4(7)कृषि/ ग्रुप -2/2018 :-राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम संख्या 38) की धारा 3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वर्तमान कृषि उपज मण्डी समिति, "विशिष्ट श्रेणी" कोटा (अनाज) के क्षेत्र में से नगरपालिका सांगोद एवं पंचायत समिति सांगोद के समस्त क्षेत्र को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति, सांगोद के नाम से स्थापित करने के आशय की घोषणा करती है।

इस संबंध में प्रत्येक आपत्ति एवं सुझाव पर जो इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक माह की अवधि में राज्य सरकार के पास पहुचेंगे, राज्य सरकार द्वारा इन आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नसीम खान,
शासन उप सचिव।

2397

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।